

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from 89-Lalsot (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

RAMBILAS

m.l.a. ki dhani gram. po. dungarpur teh. rahuwas dist. dausa [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : *Dausa*

Date : 03-12-2023


(NARENDRA KUMAR MEENA)

Returning Officer

089-Lalsot(ST)

Legislative Assembly Constituency

(Narendra Kumar Meena)

Returning Officer

(089) Lalsot (ST) Assembly Constituency

Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate,
Lalsot, Distt. - Dausa (Rajasthan)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

089-लालसोट (अजजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री **रामबिलास (नाम) एम.एल.ए. की ढाणी ग्राम.पो. डूंगरपूर तह. राहूवास जि. दौसा (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम)** द्वारा खड़े किये गए ।

उपर्युक्ता निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए / गई है।

स्थान : पं.नवल किशोर शर्मा राज.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा

दिनांक : 03.12.2023

(नरेन्द्र कुमार मीना)

रिटर्निंग अधिकारी

(089) लालसोट (अजजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लालसोट,
जिल्ला दौसा (राजस्थान)